न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), भैरमगढ़ जिला बीजापुर (छ.ग.)

प्रारूप-ग

[नियम 3(2) देखिये]

अनुशंसा

क्रमांक 78 /अ-62/रा.प्र.क्र.202503180400007/2024-25 भैरमगढ़,दिनांक 14/05/202

प्रति,

श्री लक्ष्मण कड़ियाम पिता जोगाराम
उम्र 47 वर्ष जाति मुरिया निवासी
ग्राम फुलगट्टा तहसील भैरमगढ़ जिला बीजापुर (छ.ग.)

विषयः- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुशंसा।

--00--

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 11/03/2025 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी(रा.) भैरमगढ़ को प्राप्त हुआ। राजस्व निरीक्षक नेलसनार एवं वन परिक्षेत्र अधिकारी मिरतुर को संयुक्त निरीक्षण हेतु पत्र जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 03/04/2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्मानुसार हैः- खाता संख्या 495 खसरा नम्बर 334/1 कुल खसरा 01, कुल रकबा 3.370 हेक्ट. में परिपक्व अर्ध्दशुष्क कुल 07 नग सागौन व 02 नग बीजा प्रजाति के वृक्ष है।

02/ प्रस्तुत अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहूंचता हूं कि, आवेदक द्वारा खेत मरम्मत एवं घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वृक्ष विदोहन की अनुमति मांगी गई है, अतृएवं ग्राम फुलगट्टा प.ह.नं. 28, फुलगट्टा तहसील भैरमगढ़ जिला बीजापुर स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति सागौन है, खाता संख्या 495 खसरा नम्बर 334/1 कुल खसरा 01, कुल रकबा 3.370 हेक्ट. 07 नग सागौन व 02 नग बीजा प्राजाति परिपक्व अर्ध्दशुष्क खड़े वृक्ष क्र. 06, 09, 10, 14, 16, 18, 19/2, 20 एवं 21 कुल 07 नग सागौन व 02 नग बीजा वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) क अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुशंसा शून्य होगी।

उपरोक्त राजस्व प्रकरण के निराकरण में छत्तीसगढ़ आदिम जनजाति का सरंक्षण (वृक्षों में हित) अधिनियम 1999 के तहत् निर्धारित प्रावधानों का पालन किया गया है।

यह आदेश दिनांक 14/05/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से जारी किया गया। यह अनुशंसा एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
भैरमगढ़

पृ. क्रमांक 79 /अ-62/रा.प्र.क्र.202503180400007/2024-25 भैरमगढ़,दिनांक 14/05/2025

प्रतिलिपिः-

1. कलेक्टर, जिला बीजापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल बीजापुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. वन परिक्षेत्र अधिकारी भैरमगढ़ का आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
4. तहसीलदार भैरमगढ़ की ओर वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी(रा.)
भैरमगढ़